***समक्ष रामेश्वर सिंह मलिक** माननीय न्यायमूर्ति*

कुलदीप सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य-प्रतिवादी

सीआरएलएम. 2012 का क्रमांक एम-15353

24 अगस्त 2012

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-ध.482 - याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई - याचिकाकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया - याचिकाकर्ताओं को घोषित अपराधी करार कर दिया गया - सह-अभियुक्तों को बरी करने के बाद एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई - खारिज – अभिनिर्धारित- सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, जबकि वे घोषित अपराधी बने हुए हैं, उनके खिलाफ अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है - अदालत की प्रक्रिया का उपयोग अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, इस अदालत का विचार है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को उस अवधि के दौरान बरी कर दिया गया है जब याचिकाकर्ता घोषित अपराधी बने हुए थे, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस तरह की राहत का हकदार बना सके। बल्कि, ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन को रद्द करने से याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलेगा जिनके मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अपवादों को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो

कानून से भाग रहा है, वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं है।

(पैरा 14)

आगे कहा गया कि न्यायालय की प्रक्रिया को किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्याय के लक्ष्य कुछ कानूनों की आवश्यकताओं से ऊंचे हैं, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना चाहिए। यह न्यायालय वर्तमान मामले में प्राप्त परिस्थितियों में आपराधिक अभियोजन को रद्द करने में धीमा होगा। चूंकि याचिकाकर्ता निश्चित रूप से दिनांक 29.10.2010 (अनुलग्नक पी-2) को बरी करने के फैसले में पक्षकार नहीं थे, इसलिए यह भारतीय साक्ष्य की धारा 40 से 43 के प्रावधानों के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्वीकार्य नहीं होगा। माना कि यह याचिकाकर्ताओं का दूसरा मुकदमा नहीं है जिससे याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वे अब इस आपराधिक मुकदमे का सामना करेंगे क्योंकि पहले वे घोषित अपराधी थे।

(पैरा 15)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद ठाकुर

रामेश्वर सिंह मलिक जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 2, पठानकोट में दर्ज भारतीय दंड संहिता (आईपीसी' संक्षेप में) की धारा 379,411,420,467,468,471 के तहत और आर्म्स अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के तहत, दिनांक 7.3.2003 की विवादित एफआईआर संख्या 46 को रद्द करने की मांग करते हैं और साथ ही उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाही

को रद्द करवाने के लिए इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत तत्काल याचिका के माध्यम से न्यायालय आए।

(2) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को दिनांक 29.10.2010 (अनुलग्नक पी-2) के फैसले के तहत बरी कर दिया गया था और याचिकाकर्ता इस समय के दौरान घोषित अपराधी बने रहे होने के कारण, इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर आई आर को खारिज किया जा सकता था क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखना केवल एक निरर्थक अभ्यास होगा।

(3) याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ पंजीकृत एफआईआर के बारे में कभी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण वे विद्वान ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2003 में घोषित अपराधी करार किया गया था, जैसा कि याचिका के पैरा 7 में कहा गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फफैसले सुडो मंडल @ दिवारक मंडल बनाम पंजाब राज्य[1] पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि इससे याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दिनांक 29.10.2010 के निर्णय द्वारा उनके सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया (अनुलग्नक पी-2)।

(4) मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(5) उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि वर्तमान याचिका पूरी

[1] 2011 (2) आर सी आर (सी आर एल) 453।

तरह से गलत है और खारिज किए जाने योग्य है। मैं ऐसा एक से अधिक कारणों से कह रहा हूं, जो आगे दर्ज किया जा रहा है।

(6) सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि आक्षेपित एफआईआर केवल इसलिए रद्द की जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को उस अवधि के दौरान बरी कर दिया गया है जब याचिकाकर्ता घोषित अपराधी बने रहे, वह बिना किसी सार के है और मिथय विचारों पर है।

(7) याचिका के पैरा 7 और 8 में ली गई दलीलें, जो इस विवाद को तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, को पढ़ा जाएगा: -

> 7. "यहां यह उल्लेख करना उचित है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कभी भी उनके खिलाफ दर्ज किसी भी एफआईआर के बारे में पता नहीं था, इसलिए ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके और अंततः उन्हें 2003 में घोषित अपराधी करार कर दिया गया।
>
> 8. याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 को अंततः 11.5.2011 को गिरफ्तार किया गया और याचिकाकर्ता संख्या 1 को 15.7.2011 को गिरफ्तार किया गया और वे पुलिस रिमांड के साथ-साथ न्यायिक हिरासत में भी रहे। अंततः, सभी याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरदासपुर द्वारा 22.10.2011 को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया गया। अर्थात् वे 3 महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे। इस बीच याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए और फिलहाल सभी निचली अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं"

(8) ऊपर दिए गए याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए कथनों को पढ़ने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता लगभग 8 वर्षों तक घोषित अपराधी बने रहे। इस अवधि के दौरान, उनके सह-अभियुक्तों को दिनांक 29.10.2010 के फैसले के तहत बरी कर दिया गया (अनुलग्नक पी-2)। हालाँकि, यहां यह भी ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ताओं के सह-आरोपी को बरी

करने के बावजूद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिका के पैरा 8 में लिए गए कथनों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले ही आरोप तय कर दिया था।

(9) कानून के दो प्रश्न जो इस न्यायालय के विचाराधीन हैं: - क्या याचिकाकर्ताओं पर एफआईआर में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर सही मानने के बाद भी, उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय होने के बावजूद याचिकाकर्ताओं और आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जा सकता है? (ii) क्या विवादित एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही रद्द की जा सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को, दिनांक 29.10.2010 के फैसले के तहत, पहले ही बरी कर दिया गया है, उस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता घोषित अपराधी बने रहे?

(10) पहले प्रश्न को सबसे पहले लेते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि विवादित एफआईआर में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर सही मानते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी मामला नहीं बनाया गया है। .

(11) इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया है।

(12) इस संबंध में कानून, ***हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य***[2]सहित निर्णयों की लंबी श्रृंखला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सात सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ, जिनका वर्तमान मामले में लाभप्रद रूप से पालन किया जा सकता है, के रूप में पढ़ा जाता है: -

---

[2] ए आई आर 1992 एस सी 604।

(ए) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है;

(बी) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ संलग्न अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हुए किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा न करें;

(सी) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं;

(डी) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत माना गया है;

(ई) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है;

(एफ) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां कोई संहिता या संबंधित अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करे;

(जी) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

(13) वर्तमान मामले की दी गई तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह निःसंकोच माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर सत्य मानने के बाद, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किया गया है जिसे इस याचिका में चुनौती भी नहीं दी गई है। इसलिए, ऊपर पूछे गए पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' होना चाहिए। इस प्रकार, तदनुसार, पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

(14) जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, इस अदालत का विचार है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के सह-अभियुक्तों को उस अवधि के दौरान बरी कर दिया गया है जब याचिकाकर्ता घोषित अपराधी बने रहे, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस तरह की राहत का हकदार बना सके। बल्कि, ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन को रद्द करने से याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलेगा जिनके मन में कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अपवादों को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कानून से भाग रहा है, वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं है।

(15) न्यायालय की प्रक्रिया को किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्याय के लक्ष्य कुछ कानूनों की आवश्यकताओं से ऊंचे हैं, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना चाहिए। यह न्यायालय वर्तमान मामले में प्राप्त परिस्थितियों में आपराधिक अभियोजन को रद्द करने में धीमा होगा। चूंकि याचिकाकर्ता निश्चित रूप से दिनांक 29.10.2010 (अनुलग्नक पी-2) को बरी करने के फैसले में पक्षकार नहीं थे, इसलिए यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 के प्रावधानों के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्वीकार्य नहीं होगा। माना कि यह याचिकाकर्ताओं का दूसरा मुकदमा नहीं है जिससे याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वे अब इस आपराधिक मुकदमे का सामना करेंगे क्योंकि पहले वे घोषित अपराधी थे।

(16) कानून का एक और समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति में धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उचित होगा।

(17) जहां तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिए गए फैसले का सवाल है, उस संबंध में कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए कोई मददगार नहीं है

क्योंकि तथ्यों के आधार पर यह अलग-अलग है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी संहिताबद्ध या निर्णय-निर्मित कानून को लागू करने से पहले प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए और उनकी सराहना की जानी चाहिए।

(18) दूसरी ओर, इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को ***टी. मूसा बनाम पुलिस उप निरीक्षक, वडकारा पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम***[3] में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले से समर्थन मिलता है।

(19) टी मूसा के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ का निर्णय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए और उन पर भरोसा करते हुए इस मुद्दे से संबंधित है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के दायरे पर टी.मूसा के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ, साथ ही इस मुद्दे पर कि क्या अभियुक्त के पक्ष में आपराधिक अभियोजन को रद्द करना उचित होगा वे व्यक्ति, जो अपने सह-अभियुक्तों के बरी होने के आधार पर घोषित अपराधी बने रहे, जिसका वर्तमान मामले में लाभकारी रूप से पालन किया जा सकता है, को पढ़ा जाए: -

"उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, हम कानूनी स्थिति को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं

(i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आरक्षित और मान्यता प्राप्त उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां व्यापक और अद्भुत हैं; लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल-

(ए) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए या

(बी) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या

(सी) अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए।

कानून से परे भी न्याय प्रदान करने के लिए उचित मामले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ सकता है।

(ii) शक्तियों की प्रकृति और आयाम को ध्यान में रखते हुए, उन मामलों की पहचान करने के लिए किसी स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला को निर्धारित या निर्धारित करना अनावश्यक, अनुचित और अविवेकपूर्ण होगा जहां ऐसी शक्तियों को लागू किया जा सकता है या आवश्यक नहीं है।

(iii) लेकिन ऐसी शक्तियां केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में ही लागू की जा सकती हैं और इन्हें स्वाभाविक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जहां संहिता दी गई स्थिति से निपटने के लिए तरीके और प्रक्रियाएं प्रदान करती

[3] 2006 (3) आर सी आर (सी आर एल) 221।

है, असाधारण और बाध्यकारी कारणों की अनुपस्थिति में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग आवश्यक या स्वीकार्य नहीं है।

(iv) तथ्य यह है कि एक आरोपी सामान्य प्रक्रिया में संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही से मुक्ति/हटाने/बरी होने की मांग कर सकता है, यह निश्चित रूप से एक उचित कारण होगा, असाधारण और बाध्यकारी कारणों की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत असाधारण शक्तियां।

(v) सह-अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे में अभियोजन पक्ष को नहीं बुलाया जाता है, न ही उससे फरार सह-अभियुक्तों के खिलाफ सबूत पेश करने की उम्मीद की जाती है। ऐसे मुकदमे में अभियोजन पक्ष को फरार सह-अभियुक्तों के खिलाफ सभी सबूत पेश करने का अवसर या दायित्व नहीं दिया जा सकता है। तथ्य यह है कि किसी गवाह की गवाही को सह-अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे में स्वीकार नहीं किया गया या उस पर कार्रवाई नहीं की गई, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह दोषी साक्ष्य नहीं देगा या उसके साक्ष्य को ऐसे बाद के मुकदमे में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(vi) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्रियों के आधार पर (जो सामग्री अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उचित कार्यवाही में अदालत के समक्ष रखी जा सकती है) संहिता की धारा 482 के तहत ऐसी असाधारण अंतर्निहित शक्तियां को आम तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ऐसी सामग्री अप्राप्य प्रकृति की न हो जिसे परीक्षण के दौरान कानूनी साक्ष्य में अनुवादित किया जा सके।

(vii) किसी आपराधिक मुकदमे में सह-अभियुक्तों को बरी करने का निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 के तहत फरार सह-अभियुक्तों के बाद के मुकदमे पर रोक लगाने के लिए स्वीकार्य नहीं है और इसलिए, विचार करते समय धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना समय इसे एक प्रासंगिक दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ऐसे निर्णय केवल यह दिखाने के लिए स्वीकार्य होंगे कि पिछली कार्यवाही या बरी होने के तथ्य में कौन पक्षकार थे।

(viii) न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए असाधारण अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के आह्वान की प्रार्थना पर विचार करते समय, न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से स्वीकार्य है कि वह साधक के हाथों की सफाई - पर विचार करे। यदि वह न्याय से भगोड़ा है, बिना पर्याप्त कारण के फरार हो गया है या जमानत पर छूट गया है या गवाहों की शत्रुता में हेरफेर के लिए इंतजार कर रहा है, तो ऐसा अनुचित आचरण निश्चित रूप से न्यायालय के लिए संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों को लागू करने से इनकार करने का एक उचित कारण होगा।

(ix) तथ्य यह है कि फरार सह-अभियुक्तों की अनुपस्थिति में सह-अभियुक्तों ने अपने खिलाफ मुकदमे में बरी कर लिया है, इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों के आह्वान पर विचार करते समय एक प्रासंगिक परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है। .

(x) एक निर्णय जो अंतर-पक्ष नहीं है, वह वर्तमान में भारतीय कानून के तहत मुद्दे पर रोक के सिद्धांत के आह्वान को उचित नहीं ठहरा सकता है।

(xi) उपरोक्त सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले में विचार करना होगा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियां लागू करने योग्य हैं। न्यायिक बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, संयम और सावधानी का इस्तेमाल करना होगा तांकि उस दुर्लभ और असाधारण मामले की पहचान करी जाए जहां ऊपर बताए गए सामान्य सिद्धांतों के अधीन कार्यवाही को समय से पहले समाप्त करने के लिए असाधारण अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का आह्वान आवश्यक है।

(20) वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, रिकॉर्ड पर यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता लगभग 8 वर्षों तक घोषित अपराधी बने रहे। इसके अलावा, उन्होंने खुद को

आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि 11.5.2011 और 15.7.2011 को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा कि याचिका के पैरा 8 में बताया गया है। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विद्वान न्यायालय द्वारा भी आरोप तय किया गया है, जिसे उनके द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई है। उनका पिछला आचरण उनका पीछा कर रहा है और याचिकाकर्ता मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

(21) ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, इस न्यायालय का विचार है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में. वर्तमान याचिका पूरी तरह से गलत है, इसमें कोई सार नहीं है और इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे विफल होना चाहिए।

(22) परिणामस्वरूप, तत्काल याचिका को खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला,हरियाणा